

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 813 / 2006)

(संस्थित दिनांक :- 29 / 08 / 2002)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

### // विरुद्ध //

01. मुकेश सिंह गुर्जर पुत्र केशव सिंह गुर्जर, उम्र 38 वर्ष।

निवासी : स्टेशन रोड़ गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

### // निर्णय //

( आज दिनांक : 11 / 08 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी मुकेश पर धारा 294, 323 / 34 एवं 452 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी मुकेश ने दिनांक : 12 / 04 / 2002 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप की दुकान स्थित गोलम्बर तिराहा गोहद में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप को माँ-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् उसकी दुकान में प्रवेश कर गृह अतिचार किया और सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

02. प्रकरण में आरोपी मुकेश एवं फरियादी सरदार अली एवं साक्षी सराफत अली के मध्य राजीनामा होना एक निर्विवादित तथ्य है एवं प्रकरण में आरोपी सुरेश सिंह पूर्व से फरार है, जिसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तथा प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र को निर्णय दिनांक 18 / 10 / 2012 के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 12 / 04 / 2002 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप की दुकान स्थित गोलम्बर तिराहा गोहद में, आरोपीगण मुकेश, सुरेश एवं देवेन्द्र द्वारा फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप की दुकान में प्रवेश कर उससे गाली-गलौच करने, उसकी मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप द्वारा उसी दिनांक थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में

आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 68/2002 अन्तर्गत धारा 452, 294 एवं 323 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप, साक्षीगण पवन, दिलीप, राकेश, सराफत अली एवं दीपक के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा 294, 323/34 एवं 452 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्त मुकेश एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त मुकेश को धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी मुकेश ने दिनांक :- 12/04/2002 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप की दुकान स्थित गोलम्बर तिराहा गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी/आहत सरदार अली अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी मुकेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/08/2017 से लगभग 15 साल पहले की शाम 05-06 बजे की, गोलम्बर तिराहा गोहद स्थित मेरी दुकान के बाहर की है। उस दिन आरोपी मुकेश ने आकर उससे कहा कि गन्ने का रस पिला दो, उसने आरोपी को गन्ने का रस पिला दिया। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने गन्ने के रस के पैसे मांगे तो आरोपी मुकेश ने उससे गाली-गलौच कर उसकी मारपीट की। मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव कराया। इस घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस वावत् उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी सरदार अली अ.सा.01 ने आरोपी मुकेश द्वारा दिनांक :- 12/04/2002 को शाम लगभग 06:30 बजे

उसकी दुकान स्थित गोलम्बर तिराहा गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसकी दुकान में उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। फरियादी/आहत सरदार अली अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी सुरेश, मुकेश एवं देवेन्द्र ने मेरी दुकान के अन्दर घुसकर मेरी कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार फरियादी सरदार अली अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.07 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

07. साक्षी सराफत अली अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी मुकेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/08/2017 से लगभग 15 साल पहले की शाम 05-06 बजे की, गोलम्बर तिराहा गोहद स्थित मेरी दुकान के बाहर की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय वह अपने घर पर था, जब वह दुकान पर आया तो उसे उसके लड़के सरदार अली ने बताया कि आरोपी मुकेश ने आकर उससे कहा कि गन्ने का रस पिला दो, तो उसने आरोपी को गन्ने का रस पिला दिया। जब उसने आरोपी से गन्ने के रस के पैसे मांगे तो आरोपी मुकेश ने उसके पुत्र सरदार अली से गाली-गलौच कर उसकी मारपीट की। पुलिस ने इस वावत् उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी सराफत अली अ.सा.05 ने आरोपी मुकेश द्वारा दिनांक :- 12/04/2002 को शाम लगभग 06:30 बजे उसकी दुकान स्थित गोलम्बर तिराहा गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसकी दुकान में उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। साक्षी सराफत अली अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार साक्षी सराफत अली अ.सा.05 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.08 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

08. अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी राकेश बाथम अ.सा.02, पवन अ.सा.03 एवं दीपक अ.सा.04 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

09. आरोपी मुकेश तथा फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी/आहत सरदार अली अ.सा.01 एवं साक्षी सराफत अली अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी मुकेश ने दिनांक :- 12/04/2002 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप की दुकान स्थित गोलम्बर तिराहा गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरदार अली उर्फ संदीप को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

### **अंतिम निष्कर्ष**

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी मुकेश के विरुद्ध धारा 452 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी मुकेश को धारा 452 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

12. आरोपी मुकेश के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये गये। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

13. प्रकरण में आरोपी सुरेश के संबंध में निर्णय अभी शेष हैं। इसलिए प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद